"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 रि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 जनवरी 2012— माघ 7, शक 1933

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बी. आर. देवांगन आत्मज श्री जी. पी. देवांगन, आयु 50 वर्ष, निवासी - क्वा. नं. 59-बी, एफ पाकेट, मरोदा सेक्टर, भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं वर्तमान में असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर बी. एस. पी. भिलाई दुर्ग में कार्यरत हूं.

यह कि मेरे पुत्र तेजस्वी देवांगन जिसकी जन्म तिथि 12-5-1998 है का नाम परिवर्तित कर अभिलाष देवांगन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को अभिलाष देवांगन आत्मज श्री बी. आर. देवांगन के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम

तेजस्वी देवागन
आत्मज -श्री बी. आर. देवांगन
निवासी- क्वा. नं. 59/बी,
एफ पाकेट, मरोदा सेक्टर, भिलाई नगर
तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

अभिलाष देवांगन
आत्मज -श्री बी. आर. देवांगन
निवासी- क्वा. नं. 59/बी,
एफ पाकेट, मरोदा सेक्टर, भिलाई नगर
तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट सरायपाली, जिला-महासमुंद

सरायपाली, दिनांक 2 जनवरी 2012

क्रमांक 3/क/वा-1/अविअ./12.— एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि न्यायालय रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट सरायपाली के पंजीयन में राजस्व मामला क्र. 1 ब-117 वर्ष 2007-08 दर्ज दिनांक 10-10-2007 पर ट्रस्ट का नाम माधव कृपा सरायपाली ट्रस्ट पंजीयन दिनांक 17-07-2008 को किया गया है. इस ट्रस्ट की सम्पत्ति अनुसूची इस प्रकार है :-

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	माधव कृपा सरायपाली ट्रस्ट
2.	चल संपत्ति	:	साहित्य पुस्तकें 660 नग मूल्य 30,792 रुपये
			अलमारी 2 नग मूल्य 5000 रुपये
			टेबल 2 नग मूल्य 2000 रुपये
			कुर्सियां 8 नग मूल्य 1600 रुपये
			ब्रैंच 2 नग मूल्य 1400 रुपये
			नगद राशि 5000 रुपये
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

ट्रस्टियों की संख्या :-

1- अध्यक्ष, श्री सुरेन्द्र उपवेजा, कमल जनरल स्टोर्स पद्मपुर रोड़ सरायपाली.

2- उपाध्यक्ष, श्री त्रिलोचन पटेल ग्राम सरायपाली.

3- सचिव, श्री शत्रुघन पुजारी वार्ड क्र. 08 झिलमिला.

4- कोषाध्यक्ष, श्री बिहारीलाल अग्रवाल सरसींवा रोड़ सरायपाली.

5- सहसचिव, श्री संजय शर्मा गीता भवन के पास सरायपाली.

6- सदस्य, श्री प्रमोद त्रिपाठी ग्राम व पोस्ट बोन्दा, श्री रामचंद्र अग्रवाल गनेश टी. वी. सेन्टर बसना.

प्रियंका शुक्ला,
रजिस्ट्रार.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 13 जनवरी 2012

प्ररूप क्रमांक -04
[देखें नियम-5 (1)]

लोक न्यासों के पंजीयक दुर्ग जिला दुर्ग के समक्ष

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951(1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

क्रमांक क्यू/प्र.2/अ. वि. अ./2012.— यत: कि श्री बृजमोहन उपाध्याय आ. श्री बी. डी. उपाध्याय, निवासी 3 बी, मैत्री विहार, सुपेला भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग सेटलर ट्रस्टी द्वारा "हेरिटेज इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल एजूकेशनल ट्रस्ट" द्वारा-सिद्धि विनायक एजूकेशन प्रा. लि. दुर्ग, बाईपास हरिनगर कातुलबोड़, दुर्ग को छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 17-02-2012 को मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	हेरिटेज इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा-सिद्धि विनायक एजूकेशन प्रा. लि. दुर्ग, बाईपास हरिनगर, कातुलबोड़ दुर्ग
2.	चल संपत्ति	:	1,00,000.00 नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

जी. आर. मोरे,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल, बीजापुर, जिला-दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा (छ. ग.)

बीजापुर, दिनांक 6 जनवरी 2012

क्रमांक 05/मा. चि. /109.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि , परिक्षेत्र मद्देड़ के ग्राम संगमपल्ली के वन कालोनी में दिनांक 9/10 दिसंबर 2011 के दर्मियानी रात नक्सलियों द्वारा आगजनी, तोड़फोड़ एवं लूटपाट की गई. लूटपाट की गई अन्य सामग्रियों के साथ बीट पामगल का बीट हेमर जिसका क्रमांक S↑ B B17 था, लूट की गई सामग्रियों के साथ लूट कर ले गए हैं. इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट मद्देड़ पुलिस थाने में दर्ज की जा चुकी है.

वन वित्तीय नियम 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त बीट हैमर वन मण्डल के स्टाक से अलग कर अपलेखित किया जाता है. उपरोक्त हेमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो कृपया निकटतम पुलिस थाने में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस बीट हैमर को अनाधिकृत रूप से रखते हुए अथवा उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी.

पी. अरूण प्रसाद,
वनमंडलाधिकारी.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.)

कोरबा, दिनांक 10 जनवरी 2012

क्रमांक/परिसमापन/2012/37.— विपणन सहकारी समिति मर्या., कोरबा, जिला कोरबा, पंजीयन क्रमांक 25 दिनांक 06-2-1973 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 318,400, 548 दिनांक 9-6-11, 19-7-11 एवं 3-9-11 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, विपणन सहकारी समिति मर्या., कोरबा, जिला कोरबा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री व्ही. के. जेहोआश, सह. विस्तार अधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2012.